कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था. /2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती सुदेश यादव, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडा जयसिंहपुरा, जिला अलवर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखनी, जिला जालोर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती सुदेश यादव द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3991/2019 सुदेश यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3991/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.11.2019 द्वारा अपिलार्थी श्रीमती सुदेश यादव को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए दिनांक 05.12.2019 तक निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अपील अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपिलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के विधवा होने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन/समायोजन डाइट बसवा जिला दौसा में वरिष्ठ व्याख्याता, एसीबीईओ II राजगढ, अलवर या एसीबीईओ II उमरैण, अलवर में प्रधानाचार्य एवं समकक्ष के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपिलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपिलार्थी के विधवा होने एवं उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए उनका समायोजन **राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गादुवास (GADUWAS) जिला अलवर** किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। श्रीमती सुदेश यादव को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सुदेश/3991/2019 **दिनांक** 27.11.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्रीमती सुदेश यादव, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)